

अनुदान संख्या 8 - उर्वरक विभाग
GRANT No. 8-DEPARTMENT OF FERTILISERS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	1,00	. .	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	13162,19,00	16158,55,00	16156,83,87
पूरक	Supplementary	2996,36,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			1,61,41
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	131,97,00	36,52,00	-95,45,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			95,45,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 1.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2401" - "फसल कृषि कर्म" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs.1.00 lakh* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2401" - "Crop Husbandry".

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	498499.00	588454.00	588454.74
पू.	S.	99636.00		
पु.	R.	-9681.00		
				+ 0.74

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
Total	Actual	Saving-
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	817102.00	1026647.51	1026636.12	-11.39
पू.	S.	200000.00			
पु.	R.	9545.51			

(I) 4.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.4.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2401" - "उर्वरकों का आयात" के अंतर्गत 19662.21 लाख रु. की बचत (93899.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उर्वरकों के पर्याप्त देशी उत्पादन की वजह से कम आयात किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2401" – "Import of Fertilizers" – saving of Rs.19662.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.93899.00 lakhs) was due to less import owing to sufficient indigenous production of fertilizers.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग " के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head "2852" – "Fertilizer Industries" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान और विकास - भारत - इंग्लैंड उर्वरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान" - 377.04 लाख रु. की बचत (2364.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Research and Development - Grants under Indo-UK Fertilizer Development Programme" - saving of Rs.377.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2364.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(खा) "उर्वरक आर्थिक सहायता" -

(B) "Fertilizer Subsidy" -

(क) "उर्वरक भाड़ा आर्थिक सहायता स्कीम के अंतर्गत अदायगी"- 2500.00 लाख रु. की बचत (104700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूरिया की भाड़ा दरों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से कंपनी से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Payments under Fertiliser Freight Subsidy Scheme"- saving of Rs.2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.104700.00 lakhs) was due to receipt of lesser claim from the company owing to non-finalisation of freight rates of urea.

(ख) "नई और हाल ही में शुरू की गई उर्वरक इकाइयों को ब्याज और सीमा शुल्क रियायत के लिए अदायगी" - 4401.14 लाख रु. की बचत (13000.00 लाख रु.

(b) "Payment on account of interest and custom duty concession to new and recently commissioned Fertilizer units"- saving of Rs.4401.14 lakhs (against the

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्याज रियायतों के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

sanctioned provision of Rs.13000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for interest concession.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 61.65 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 51 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.61.65 lakhs occurred constituting 51 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2401" - "खाद तथा उर्वरक- आयातित विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए अदायगी" के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (9982.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2005 में 29636.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9981.95 लाख रु. था।

3.(I) The above savings were partly (Rs.9982.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation under Major Head "2401" - "Manures and Fertilizers - Payment for concessional sale of imported decontrolled fertilizers" as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.29636.00 lakhs in March, 2005. Actual excess, however, was Rs.9981.95 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अधीन अदायगियां" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 16901.00 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 200000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 896615.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूरिया पर आर्थिक सहायता के लंबित दावों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head "2852" - "Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy - Payment under Fertilizers Retention Price Scheme" - excess of Rs.16901.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.896615.00 lakhs including supplementary grant of Rs.200000.00 lakhs obtained in March, 2005) was due to payment of pending claims of subsidy on Urea.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas		
मू.	O.	1400.00	
पु.	R.	-1400.00	
	

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष मुख्य शीर्ष "4855"	Head Major Head "4855"			
उर्वरक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Fertilizer Industries			
मू.	O.	2650.00	445.00	445.00
पु.	R.	-2205.00		
मुख्य शीर्ष "6855"	Major Head "6855"			
उर्वरक उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Fertilizer Industries			
मू.	O.	9147.00	3207.00	3207.00
पु.	R.	-5940.00		

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत 1403.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1400.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा नामरूप नवीकरण परियोजना के दूसरे संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित न किए जाने की वजह से व्ययगत न होने वाले पूल को निधियां अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत 2205.00 लाख रु. की बचत (2650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा नामरूप नवीकरण परियोजना के दूसरे संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के

(I) Provision of Rs.1403.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1400.00 lakhs alone was under Major Head "4552" - "Other Expenditure - Lump sum provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to surrender of funds to non-lapsable pool owing to non-approval of 2nd revised cost estimate for Namrup Revamp Project by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) Under Major Head "4855" - "Investments in Public Sector and other Undertakings - Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd." - saving of Rs.2205.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2650.00 lakhs) was due to non-approval of 2nd revised cost estimate for the Namrup Revamp Project by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(III) Under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and other Undertakings -

अंतर्गत 5862.00 लाख रु. की बचत (6862.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयंत्र के प्रचालन को अगले वित्तीय वर्ष तक स्थगित किए जाने के कारण हुई।

Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Ltd.”- saving of Rs.5862.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6862.00 lakhs) was due to postponement of operation of plant to the next financial year.
